

कार्यालयः—जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मेरठ।

विज्ञप्ति।

उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के पत्र संख्या—3522/एसएलएसए—99/2019 (ऋ/हैदर) दिनांकित 23 सितम्बर, 2022 के द्वारा चीफ, लीगल एड काउन्सिल के पद पर विज्ञापन, प्रचार-प्रसार हेतु एक सप्ताह के अन्दर कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। उक्त के अनुपालन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मेरठ द्वारा चीफ, लीगल एड डिफेन्स काउन्सिल के पद हेतु आवेदन पत्र आमन्त्रित किये जाने के लिए एक सप्ताह का समय बढ़ाया जाता है, जिनका विवरण निम्न प्रकार हैः—

Sr. No.	Name of The Post	No. of Post	Qualification/Experience
01.	Chief Legal Aid Defense Counsel	01	<ul style="list-style-type: none"> • Practice in criminal law for at least 10 years, • Excellent oral and written communication skills, • Excellent understanding of criminal law, • Thorough understanding of ethical duties of a defence counsel, • Ability to work effectively and efficiently with others with capability of lead, • Must have handled at least 30 criminal trials in Sessions Courts, aforesaid condition of handling of 30 criminal cases can be relaxed in appropriate circumstances, • Knowledge of computer system, preferable. • Quality to lead the team with capacity to manage the office.

(The work profile, termination of services, code of ethics, entitlement of leave and other terms and conditions etc. of Chief/Deputy/Assistant Legal Aid Defense Counsel, Shall be governed by the enclosed NALSA Guidelines and LADCS Scheme)

अतः उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मेरठ द्वारा चीफ, लीगल एड डिफेन्स काउन्सिल के पद हेतु आवेदन पत्र आमन्त्रित किये जाने के लिए एक सप्ताह का समय बढ़ाया जाता है। इच्छुक आवेदक/अभ्यर्थी निर्धारित प्रारूप पर अपना आवेदन पत्र समस्त औपचारिकताओं को पूर्ण करते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मेरठ के कार्यालय में पंजीकृत डाक अथवा व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर दिनांक 30.09.2022 की सांय 05:00 बजे तक जमा कर सकते हैं। अभ्यर्थी आवेदन पत्र के साथ 02 नवीनतम पासपोर्ट साईज के फोटोग्राफ तथा 02 स्वयं पता लिखा लिफाफे मय पंजीकृत टिकिट संलग्न करें। निर्धारित अवधि के उपरान्त प्राप्त आवेदन पत्रों पर समिति द्वारा कोई विचार नहीं किया जायेगा तथा अधिक जानकारी के लिए नालसा वेबसाइट तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मेरठ के कार्यालय से सम्पर्क किया जा सकता है।

संलग्नः यथोक्त।

दिनांक: 23.09.2022

भवदीय,

सिविल जज (सी0डिओ) / प्रभारी सचिव,
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
मेरठ।

प्रतिलिपि:-

- 1—माननीय जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मेरठ को सूचनार्थ प्रेषित।
- 2—श्रीमान प्रभारी अधिकारी (कम्प्यूटर) जनपद न्यायालय मेरठ को इस आशय के साथ प्रेषित कि उक्त विज्ञापन की प्रति को जनपद न्यायालय की बेवसाइट पर अपलोड कराये जाने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने की कृपा करें।
- 3—जिला सूचना अधिकारी, मेरठ को इस आशय के साथ प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति को समस्त स्थानीय समाचार पत्रों में निःशुल्क व जनहित में प्रकाशित कराने का कष्ट करें।
- 4—श्रीमान अध्यक्ष/महामंत्री जिला बार एसोसिएशन मेरठ को इस आशय के साथ प्रेषित कि उक्त विज्ञापन की प्रति को अपने नोटिस बोर्ड पर चर्चा कराये जाने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने की कृपा करें।
- 5—श्रीमान अध्यक्ष/महामंत्री मेरठ बार एसोसिएशन मेरठ को इस आशय के साथ प्रेषित कि उक्त विज्ञापन की प्रति को अपने नोटिस बोर्ड पर चर्चा कराये जाने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने की कृपा करें।
- 6—तहसीलदार सरधना, मवाना व सदर मेरठ को इस आशय के साथ प्रेषित कि उक्त विज्ञापन की प्रति को तहसील व तहसील बार के नोटिस बोर्ड पर चर्चा कराये जाने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने की कृपा करें।
- 7—केन्द्रीय नाजिर, जिलाधिकारी मेरठ को इस आशय के साथ प्रेषित कि उक्त विज्ञापन की प्रति को कलेक्ट्रेट मेरठ नोटिस बोर्ड पर चर्चा कराये जाने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने की कृपा करें।
- 8—केन्द्रीय नाजिर, जनपद न्यायालय, मेरठ को इस आशय के साथ प्रेषित कि उक्त विज्ञापन की प्रति को जनपद न्यायालय, मेरठ के नोटिस बोर्ड पर चर्चा कराये जाने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने की कृपा करें।

सिविल जज (सी0डिओ) / प्रभारी सचिव,
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,